न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, रोसड़ा

सत्र विचारण वाद संख्या–166 / 87(बी)

अभियुक्त रामविलास मंडल का आत्मसमर्पण

31.07.2019

अभियुक्त राम विलास मंडल ने आत्मसमर्पण किया तथा साथ में एक आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन भी दाखिल किया, जिसपर उनकी उम्र–75 वर्ष लिखी हुई थी, परंतु देखने से वे 62–64 वर्ष से ज्यादा के प्रतीत नहीं हुए, यद्यपि कि एक आधार–कार्ड की छायाप्रति भी दाखिल की गयी जिसमें उनकी जन्मे तिथि 01.01.1944 वर्णित है।

आदेशफलक दि0. 11.02.2019 एवं 11.01.2019 प्रस्तुत मुकदमे में कुछ जानकारी हेतु संदर्भित है। वि0 सफाई अधिवक्ता श्री उपेंद्र ठाकुर ने अभियुक्त को आत्मसमर्पण कराते हुए आज ही दायर जमानत आवेदन की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसकी प्रति वि0 अपर लोक अभियोजक को भी दिया गया था। वि0 अ0 ने आंशिक रूप से अपने

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, रोसड़ा

सत्र विचारण वाद संख्या–166/87(बी)

लगातार

31.07.2019

जमानत आवेदन को प्रचारित किया तथा पूर्ण प्रचालन हेतु एक अग्रिम तिथि देने का निवेदन किया। उन्होंने अपने जमानत आवेदन पर प्रचालन नहीं करने संबंधित शब्दों का भी वर्णन किया।

वि0 अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रस्तुत मुकदमा अंतर्गत धारा–302/34 भा0द0वि0 है जैसा कि आरोप गठन दि0. 07.08.2006 के अध्ययन से पता चलता है, तथा अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे जिसकी वजह से मुकदमा रूक गया था। अभियुक्त आरोप–गठन पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इस मुकदमा के संदर्भ में गए थे तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त को स्थगन आदेश भी दिया था जिसे अपने आदेश दि0. 26.07.2010 के द्वारा वापस ले लिया था, उसके बाद अभियुक्त को स्वतः न्यायालय में उपस्थित होकर अग्रतर कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए था , परंतु जान–बूझकर अभियुक्त फरार हो गए तथा ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश का गलत फायदा वर्षों तक उठाते रहे। अगर अभियुक्त की मंशा सही होती तो वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दि0. 26.07.2010 के उपरांत हाजिर होते तथा मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ती। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाय तथा मुकदमे के अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, रोसड़ा

सत्र विचारण वाद संख्या–166/87(बी)

लगातार

31.07.2019

चुकी वि0 सफाई अधिवक्ता ने स्वयं ही जमानत आवेदन का पूर्ण प्रचालन नहीं किया, तथा वि0 अपर लोक अभियोजक के अभिवचनों को देखते हुए, अभिलेख अध्ययन पश्चात् न्यायालय यह उचित समझती है कि अभियुक्त को प्रस्तुत हत्या के मुकदमे में अभिरक्षा में लेना उचित होगा। अतः अभियुक्त रामविलास मंडल को अभिरक्षा में लिया जाता है तथा रोसड़ा कारा में प्रेषित किया जाता है।

अभियुक्त के उपास्थापन तथा उनके जमानत आवेदन पर पूर्ण संचालन हेतु वि0 सफाई अधिवक्ता के सहमति से अभिलेख दि0.09.08.2019 को प्रस्तुत करें।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,द्वितीय
रोसड़ा